न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र :– 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना –पत्र नम्बर 675/2023

सीता पत्नी श्री हंसराज जाति मेघवाल निवासी डबलीं तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. पिरथी पुत्र श्री लालूराम जाति नायक निवासी सुरेशियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से चक 16 एमकेएस के खाता संख्या 248/171 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी द्वारा चक नं. 16 एमकेएस के पं.नं. 160/228 मु.नं. 53 के किला नम्बर 20 के पश्चिम दिशा में पत्थर लाईन के चिपते दक्षिण से उतर में 0.013 है. यानी 8.25 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व में गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज कर करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1759 दिनांक 10.07.2025 द्वारा प्रार्थीया के पास कोई स्थायी रास्ता नही होना एवं पडौसी काश्तकारों के खेत खाली होने पर अथवा मेड से प्रार्थीया अपने खेत में आवागमन कर काश्त करना बतलाते हुए रास्ता मन्जूर किये जाने की अनुशंषा की गई है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 16 एमकेएस में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक नं. 16 एमकेएस के पं.नं. 160/228 मु.नं. 53 के किला नम्बर 20 की पश्चिमी दिशा में पत्थर लाईन से चिपता एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा जिससे अप्रार्थी को खेत खराब न हो इसलिए चक 16 एमकेएस प.न. 160/228 मु.न. 53 किला नं. 14 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 13 के चिपता नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थीगण को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना निश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 22.8.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया